

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 9 राँची, बुधवार

12 मार्च, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 211-229

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2025

संख्या-04/नि0सं0-12-45/2015 का०-416--श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 20.10.2023 से 08.02.2024 तक (कुल 112 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 जनवरी, 2025

संख्या-1/विविध-827/2017 (खंड) का०-82--श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-11.12.2024 से 13.12.2024 तक कुल 03 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2025

सं०सं०-4/नि०सं०-12-46/2020 का० 394--श्रीमती सुमन गुप्ता, झा०प्र०से०, व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 15.10.2024 से 09.11.2024 तक (कुल 26 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2025

सं०सं०-4/नि०सं०-12-04/2024 का० 395--श्री अमित किस्कू, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी, कुण्डहीत (जामताड़ा) द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 13.09.2023 से 08.10.2023 तक (कुल 26 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

28 जनवरी, 2025

सं०सं०-03/नि०सं०-09-10/2021 का०-470--श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, तत्कालीन झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 704/03), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरिया, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर संप्रति भा०प्र०से० में प्रोन्नत विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 18.08.1996 से 05.09.1996 तक (कुल 19 दिन) की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 (2) के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

18 फ़रवरी, 2025

संख्या-1/विविध -814/2020 का०- 875--श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से., (झा: 2016) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2165 दिनांक 13.04.2023 द्वारा दिनांक 17.03.2023 से 12.09.2023 तक कुल 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है को संशोधित करते हुए दिनांक 17.03.2023 से 08.06.2023 तक कुल 84 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

पथ निर्माण विभाग।

अधिसूचना

4 मार्च, 2025

संचिका सं०:निग/सारा (पथ)-01- वि0का0-05-93 /2013 (11136)--श्री संतोष कुमार सिंह सेवानिवृत (दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त) कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, देवघर के पद पर पदस्थापन काल में एकरारनामा सं0 9F2/2007-2008 के तहत कार्यान्वित सारत पालजोरी पथ एवं एकरारनामा सं० 20F2/2007-2008 के तहत कार्यान्वित मधुपुर - लाहजोरी पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में बरती गई अनियमितता हेतु उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 931 (एस), दिनांक 25.02.2010 के द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 7472 (एस) दिनांक- 24.12.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

2. श्री सिंह द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में याचिका WP(S) सं0 5930 / 2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.01.2011 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 4382 (एस) दिनांक 22.07.2011 द्वारा श्री सिंह को 01.04.2011 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया ।

3. श्री मुरारी भगत, मुख्य अभियन्ता रा० उ० पथ उपभाग झारखण्ड, राँची - सह संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर पत्रांक 04 (WE) दिनांक 01.01. 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध आरोंपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवदेन के आलोक में विभाग द्वारा दण्ड अधिरोपन के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 5076(एस) दिनांक 27.05.2013 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पत्र दिनांक 07.06.2013 द्वारा समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन तथ्यों का उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरन बचाव बयान में किया गया था ।

5.अतः श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वित्तीय कारण पृच्छा के जबाब को अस्वीकृत करतें हुए विभागीय अधिसूचना सं0 7612 (एस) दिनांक 23.08.2013 के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उनपर संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया:-

i. "निन्दन"

ii. संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक

iii. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 के तहत निलंबन अवधि (दि0 25.02.2010 से दि०-31.03.2011) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी ।

6. श्री सिंह, तदेन कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल देवघर द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में वाद सं0 2686 / 2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2024 को आदेश पारित किया गया जिसका Opreative part निम्नवत है:-

..... Para 24. In the view of the discussions made above and in view of the law laid down by the Hon'ble supreme court, it is evident that the punishment imposed upon the petitioner is completely illegal, arbitrary and not sustainable in the eye of law and also in vionlation of the principle of natural justice and accordingly, Notification dated 23-078-2013 (Annexure- 7) issued bye the Deputy Secretary of the Government, Road Construction Departement Jharkhand, Ranchi (Respondent N0-4) is Quashed and set aside and the petitioner will be entitiled to all the consequential benefits. "

यहां उल्लेखनीय है कि उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री सिंह द्वारा Contempt Case (C) No. 832/2024- संतोष कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है।

7. W.P.(s) No. 2686/ 2016 में पारित आदेश दि0-18.01.2024 के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No. -56/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम संतोष कुमार सिंह दायर किया गया है।

8. अतएव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP (S) नं0 2686 / 2016 में दिनांक-18.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में निम्न निर्णय लिया जाता है:-

1. श्री संतोष कुमार सिंह तदेन कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, देवघर पर दण्ड अधिरोपण हेतु पारित अधिसूचना सं0 7612 (एस) दिनांक 23.08.2013 को विलोपित किया जाता है ।

॥ श्री सिंह को निलंबन अवधि (दि0-25.02.2010 से दि0-31.03.2011 तक) के लिए पूर्ण वेतन देय होगा जिसका भुगतान उन्हें पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता को सामंजित करते हुए किया जाएगा।

उक्त निर्णय विभाग द्वारा दायर LPA No. - 56/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम संतोष कुमार सिंह में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRITY KUMARI अन्य नाम AYESHA KHATOON पति AWADH KISHOR, शपथ पत्र सं० 42, दिनांक 20 जून, 2024 के अनुसार PRITY KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

PRITY KUMARI एवं AYESHA KHATOON दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - BANTANAGAR ASHRAM ROAD,
NEAR S N HIGH SCHOOL,
ADITYAPUR - 2,
R.I.T. VTC: ADITYAPUR,
DIST. - SERAIKELA KHARSAWAN,
PIN - 831013
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SURAJ KUMAR MODI, ESHI ISHA (अन्य नाम ISHIKA RAJ) का पिता, शपथ पत्र सं० 433, दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ESHI ISHA के नाम से जानी जायेगी ।

ESHI ISHA एवं ISHIKA RAJ दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BLOCK MORE, PATRATU,
P.O. & P.S. - PATRATU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BULBUL SINGH, RAMYA VAISHNAVI (अन्य नाम VAISHNAVI SINGH) की माता, शपथ पत्र सं० 08, दिनांक 16 नवम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री RAMYA VAISHNAVI के नाम से जानी जायेगी ।

RAMYA VAISHNAVI एवं VAISHNAVI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VINAY BHAWAN,
AMBIKAPURAM,
LUBY CIRCULAR ROAD, DHANBAD,
P.O. & P.S. - DHANBAD,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AJAY KUMAR SAHU, RAJ ARYAN (अन्य नाम RAJVEER) का पिता, शपथ पत्र सं० 06, दिनांक 3 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RAJ ARYAN के नाम से जाना जायेगा ।

RAJ ARYAN एवं RAJVEER दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 29, 3RD FLOOR,
SUNITA APARTMENT, MANGO,
P.O. & P.S. - MANGO,
TOWN - JAMSHEDPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
PIN - 831012
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SARVESH KUMAR, SHREESHA TATA (अन्य नाम ASHLISHA ARYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 4094, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHREESHA TATA के नाम से जानी जायेगी ।

SHREESHA TATA एवं ASHLISHA ARYA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - S - 11, RAJU BAGAN,
P.O. - KITADIH, TATA NAGAR,
EAST SINGHBHUM,
PIN - 831002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANJANA DEVI अन्य नाम CHANDA DEVI पति SRI SONU KUMAR GUPTA, शपथ पत्र सं० 08, दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के अनुसार SANJANA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

SANJANA DEVI एवं CHANDA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - RAIDIH,
P.O. - TAMAR,
P.S. - TAMAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835225
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KUNTI DEVI अन्य नाम KUMTI DEVI पति SRI MUKESH BAITHA, शपथ पत्र सं० 17, दिनांक 7 जनवरी, 2025 के अनुसार KUNTI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

KUNTI DEVI एवं KUMTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - RAHE,
P.O. & P.S. - RAHE,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NIBHASH KUMAR PANJIYARA अन्य नाम NISHAT PANJIYARA पिता RAJKUMAR PANJIYARA, शपथ पत्र सं० 14895, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के अनुसार NIBHASH KUMAR PANJIYARA के नाम से जाना जाऊँगा ।

NIBHASH KUMAR PANJIYARA एवं NISHAT PANJIYARA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KANHAI PAKARIYA,
P.O. - KORKA GHAT,
P.S. - PATHARGAMA,
DIST. - GODDA,
PIN - 814133
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MRITUNJAY KUMAR MISHRA अन्य नाम MRITUNJAY KUMAR पिता RAM NARESH MISHRA, शपथ पत्र सं० 968, दिनांक 20 मई, 2024 के अनुसार MRITUNJAY KUMAR MISHRA के नाम से जाना जाऊँगा ।

MRITUNJAY KUMAR MISHRA एवं MRITUNJAY KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - OLD GAS GODOWN ROAD, HESAL,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEONAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHRIRAM PRASAD GUPTA अन्य नाम SUMIT GUPTA पिता MAHAVEER PRASAD GUPTA, शपथ पत्र सं० 05/3199, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार SHRIRAM PRASAD GUPTA के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHRIRAM PRASAD GUPTA एवं SUMIT GUPTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BAIRAON,
P.O. - KAMGARPUR,
P.S. - HUSSAINABAD,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822116
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BUDHMANI DEVI अन्य नाम RAMDASNI DEVI पति GUNDUR KISAN, शपथ पत्र सं० 159, दिनांक 8 जनवरी, 2025 के अनुसार BUDHMANI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

BUDHMANI DEVI एवं RAMDASNI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BARTOLI,
P.S. - NETARHAT,
DIST. - LATEHAR,
PIN - 835218
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PUSHPA DEVI अन्य नाम KUMARI PUSHPALATA PANDEY पति RAGHWENDRA KUMAR, शपथ पत्र सं० 583, दिनांक 9 जनवरी, 2025 के अनुसार PUSHPA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

PUSHPA DEVI एवं KUMARI PUSHPALATA PANDEY दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - PANDRA BASTI,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEV NAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NAGESHWAR SAW अन्य नाम TUNTUN SAW पिता Late MITHLESH SAW, शपथ पत्र सं० 830, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के अनुसार NAGESHWAR SAW के नाम से जाना जाऊँगा ।

NAGESHWAR SAW एवं TUNTUN SAW दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO.- 34, BAZAR ROAD,
STEAM COLONY, PATRATU,
P.O. & P.S. - PATRATU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANSARI SHAMA PARVEEN MOHD MUSHTAQUE अन्य नाम ANSARI SHAMA PARWEEN पति ABUSAMA ANSARI, शपथ पत्र सं० 624, दिनांक 7 जनवरी, 2025 के अनुसार ANSARI SHAMA PARVEEN MOHD MUSHTAQUE के नाम से जानी जाऊँगी ।

ANSARI SHAMA PARVEEN MOHD MUSHTAQUE एवं ANSARI SHAMA PARWEEN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KUSBILA,
P.O. - BHADHARIA,
P.S. - RAJABHITHA,
SUB-DIVISION - MAHAGAMA,
DIST. - GODDA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BOBBY ORAON अन्य नाम BABI ORAON पिता MANGAL ORAON, शपथ पत्र सं० 04, दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 के अनुसार BOBBY ORAON के नाम से जाना जाऊँगा ।

BOBBY ORAON एवं BABI ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - DUBALIYA,
P.O. - CHANDWE,
P.S. - PITHORIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835217
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANKIT VISHWAKARMA अन्य नाम ANIKET VISHWAKARMA पिता SRI ANAND VISHWAKARMA, शपथ पत्र सं० 22, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के अनुसार ANKIT VISHWAKARMA के नाम से जाना जाऊँगा ।

ANKIT VISHWAKARMA एवं ANIKET VISHWAKARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - MOHALLA MADHU BAZAR,
TOWN & P.O. - CHAIBASA,
P.S. - SADAR, CHAIBASA,
DIST. - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUNIL ORAON, SACHIN ORAON (अन्य नाम SUMIT ORAON) का पिता, शपथ पत्र सं० 139, दिनांक 3 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SACHIN ORAON के नाम से जाना जायेगा ।

SACHIN ORAON एवं SUMIT ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - MARADIH,
P.O. - PANDRA,
P.S. - KURU,
DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, APRNA KUMARI अन्य नाम ARPANA KUMARI पिता SRI BALRAM MAHTO, शपथ पत्र सं० 425, दिनांक 8 जनवरी, 2025 के अनुसार APRNA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

APRNA KUMARI एवं ARPANA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KORADIH,
P.O. - LANDUPDIH,
P.S. - SONAHATU,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANAND PRAJAPATI अन्य नाम ANTU PRAJAPATI पिता KESHO PRAJAPATI, शपथ पत्र सं० 58, दिनांक 6 जनवरी, 2025 के अनुसार ANAND PRAJAPATI के नाम से जाना जाऊँगा ।

ANAND PRAJAPATI एवं ANTU PRAJAPATI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - PURNI PALHEYA,
P.O. - PALHEYA,
P.S. - MANIKA,
LATEHAR,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AVINASH KUMAR GUPTA अन्य नाम RITESH RANJAN पिता DINESH PRASAD GUPTA, शपथ पत्र सं० 3844, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के अनुसार AVINASH KUMAR GUPTA के नाम से जाना जाऊँगा ।

AVINASH KUMAR GUPTA एवं RITESH RANJAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - LICHI BAGAN, LOWADIH,
P.O. & P.S. - NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DIPANI DEVI अन्य नाम TIPANI DEVI पति MANOJ KUMAR, शपथ पत्र सं० 236, दिनांक 11 जनवरी, 2025 के अनुसार DIPANI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

DIPANI DEVI एवं TIPANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - DHARGULLI BLOCK,
P.O. - BAGODAR,
P.S. - BAGODAR,
DIST. - GIRIDIH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ABINASHI BHUINYA अन्य नाम KETRINA TIGGA पति JIVAN BHUINYA, शपथ पत्र सं० 549, दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसार ABINASHI BHUINYA के नाम से जानी जाऊँगी ।

ABINASHI BHUINYA एवं KETRINA TIGGA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - UPAR HATIA, GANIYOR TOLI,
P.O. - HATIA,
P.S. - JAGARNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KAMLESH KUMAR ROY, SNEHA KUMARI (अन्य नाम KUMARI SNEHA) का पिता, शपथ पत्र सं० 1361, दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SNEHA KUMARI के नाम से जानी जायेगी ।

SNEHA KUMARI एवं KUMARI SNEHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - Q. NO. - B-1306, SECTOR - 2,
HEC COLONY,
P.O. - DHURWA,
P.S. - JAGARNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHASHI RANJAN KUMAR, PRATYUSHA RANJAN (अन्य नाम PRINCESS ITTO) का पिता, शपथ पत्र सं० 146, दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PRATYUSHA RANJAN के नाम से जानी जायेगी ।

PRATYUSHA RANJAN एवं PRINCESS ITTO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - CHARU ENCLAVES,
FLAT NO, - 303,
DEVI MANDAP ROAD, RATU ROAD,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEONAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DURGA RAVIDAS अन्य नाम DURGESH RAVIDAS पिता Late MAHADEO RAVIDAS, शपथ पत्र सं० 8768, दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के अनुसार DURGA RAVIDAS के नाम से जाना जाऊँगा ।

DURGA RAVIDAS एवं DURGESH RAVIDAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BANASANDI,
PANCHAYAT - BANASANDI,
P.O. - SIMARIYA,
P.S. - SIMARIYA,
DIST. - CHATRA,
PIN - 825103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RATNI MINJ, SUSHMA MINZ (अन्य नाम SUSHANT MINZ) की माता, शपथ पत्र सं० 90, दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री SUSHMA MINZ के नाम से जानी जायेगी ।

SUSHMA MINZ एवं SUSHANT MINZ दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - GARI GAON, PAHAN TOLI,
P.O. - HOTWAR,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835217
JHARKHAND

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 9-- 50 ।